अध्याय - 8

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला खनिज अधिकारियों के कार्यालयों में अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर आदि के अनिर्धारण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 80.34 करोड़ के उदाहरात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय हैं कि यद्यपि इस प्रकार की चूकों को हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार इंगित किया गया है, विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में खनन प्राप्तियों से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 3.92 प्रतिशत की कमी हुई ।
आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई	विभाग ने प्रतिवेदित किया (जनवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के संबंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,636 प्रकरणों में ₹ 2,944.63 करोड़ राजस्व प्रभाव से सन्निहित खनिज प्राप्तियों के अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण, हानि आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 4,829 प्रकरणों में ₹ 2,077.37 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 606 प्रकरणों में ₹ 249.45 करोड़ वसूल किए । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 7.67 प्रतिशत से 31.25 प्रतिशत के मध्य रहा ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 32 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 1,316 प्रकरणों में ₹ 171.95 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 1,145 प्रकरणों में ₹ 170.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किए गए राज्यांश की प्राप्ति न होने/कम प्राप्ति, शास्ति का अधिरोपण न किये जाने, ब्याज के अनारोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है; विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय –8
खनन प्राप्तियां

8.1 कर प्रशासन

खनिज विभाग सचिव, खनन, मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारी होते हैं । जिला खनिज अधिकारियों की सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते हैं । जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं ।

खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के तहत संग्रहीत की जाती हैं:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988;
- संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002;
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996;
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005;
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004; तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957

8.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वास्तविक खनिज प्राप्तियाँ, उसी अवधि के दौरान कुल कर–भिन्न प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में प्रदर्शित की गई हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+) /कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर–भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	1,080.00	1,125.39	(+) 45.39	(+) 4.20	2,738.18	41.10
2008–09	1,235.00	1,361.08	(+)126.08	(+)10.21	3,342.86	40.72
2009–10	1,566.00	1,590.47	(+)24.47	(+) 1.56	6,382.04	24.92
2010–11	1,650.00	2,121.49	(+) 471.49	(+) 28.58	5,719.77	37.09
2011–12	2,540.00	2,038.31	(–) 501.69	(–) 19.75	7,482.73	27.24

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

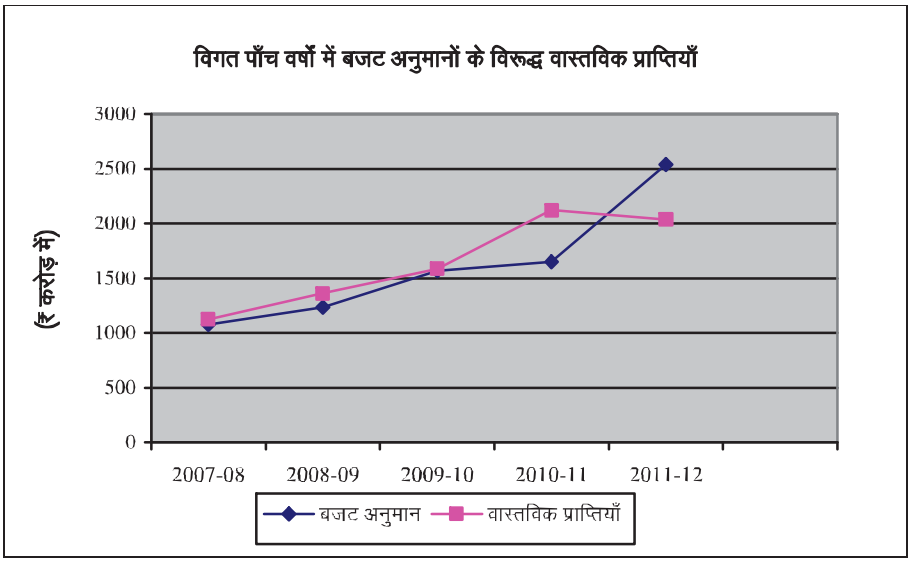

वर्ष 2011–12 में, खनिज प्राप्तियों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 3.92 प्रतिशत की कमी हुई । बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता (-) 19.75 प्रतिशत तथा (+) 28.58 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2011–12 में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का कारण विभाग द्वारा बकाया सड़क विकास कर की वसूली तथा गौण खनिजों की राज्यांश दरों के पुनरीक्षण के कारण राज्यांश राशि में वृद्धि होना बताया गया (अगस्त 2012)।

8.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

8.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि.प्र.)

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 5,636 प्रकरणों में ₹ 2,944.63 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित खनन प्राप्तियों के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण, राजस्व हानि आदि को

इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 4,829 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 2,077.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 606 प्रकरणों में (30 नवम्बर 2012 तक) ₹ 249.45 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा–परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		वसूली का स्वीकृत राशि से प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006–07	31	1,258	38.84	1,258	38.84	68	6.93	17.84
2007–08	34	1,474	513.88	1,457	97.25	81	8.94	9.19
2008–09	34	433	333.73	368	240.07	188	39.53	16.47
2009–10	34	1,384	1774.20	674	1431.55	109	109.78	7.67
2010–11	37	1,087	283.98	1,072	269.66	160	84.27	31.25
योग		**5,636**	**2,944.63**	**4,829**	**2077.37**	**606**	**249.45**	

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत, 7.67 प्रतिशत से लेकर 31.25 प्रतिशत, बहुत कम रहा । हमने इस स्थिति को विभाग प्रमुख तथा शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2012) ।

8.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 39 कंडिकाओं में ₹ 1,067.24 करोड़ राजस्व के अवनिर्धारण, राज्यांश/अनिवार्य किराये/संविदा राशि की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण, शास्ति का अनारोपण आदि के प्रकरणों को इंगित किया था। जहाँ विभाग ने ₹ 581 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया, उसमें से मार्च 2012 तक केवल ₹ 70.02 करोड़ की राशि वसूल की गई जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006–07	8	5.20	7	4.16	5	3.33
2007–08	1	395.76	1	340.79	1	63.25
2008–09	8	102.93	6	9.27	5	2.28
2009–10	11	447.89	8	143.11	4	0.35
2010–11	11	115.46	8	83.67	5	0.81
योग	**39**	**1,067.24**	**30**	**581.00**	**20**	**70.02**

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि को वसूल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

8.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया (जनवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है और इसलिए वर्ष 2011–12 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

8.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 में खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 32 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,316 प्रकरणों में ₹ 171.95 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	198	0.60
2.	अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	330	23.94
3.	ग्रामीण अधोसंरचना एवं सड़क विकास कर का निर्धारण न किया जाना	144	95.77
4.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली होना	361	7.37
5.	अन्य प्रेक्षण	283	44.27
योग		**1,316**	**171.95**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,145 प्रकरणों में ₹ 170.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था ।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 80.34 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

8.6 संविदा राशि का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमों के अंतर्गत स्वीकृत व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 6 के अनुसार, यदि ठेके के चालू रहने के दौरान राज्यांश की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो संविदा राशि भी समानुपातिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी । शासन ने मार्च 2010 में गौण खनिजों की राज्यांश दरों को पुनरीक्षित किया था ।

हमने 19 जिला खनिज कार्यालयों[1] में व्यापारिक खदानों की विवरणियों एवं संविदा प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 से फरवरी 2012 के मध्य) कि विभाग ने 141 व्यापारिक खदान ठेकेदारों के प्रकरण में 5 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु संविदा राशि ₹ 5.65 करोड़ से ₹ 8.87 करोड़ पुनरीक्षित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.22 करोड़[2] की संविदा राशि की कम प्राप्त हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी, दतिया ने बताया (जून 2011) कि अधिसूचना की शर्त के अनुसार ठेकेदारों को राज्यांश की पुनरीक्षित दरों के अनुसार पिट पास जारी किए गए थे । हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि संविदा राशि भी, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि ठेकेदारों ने खनिज की पूर्ण मात्रा का उत्खनन किया या नहीं, संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित की जानी चाहिये थी।

हमने प्रकरण को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2012 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

---

1 बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, डिन्डोरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, रतलाम, रीवा, सतना, शाजापुर तथा सीधी ।

2 ₹ 3.22 करोड़ में से, ₹ 6 लाख तीन जिला कार्यालयों (डिन्डौरी, खण्डवा, मण्डला) में वर्ष 2009–10 में 27 दिनों हेतु 18 व्यापारिक खदान ठेकेदारों से सम्बंधित तथा ₹ 3.16 करोड़ वर्ष 2010–11 हेतु 19 जिला खनिज कार्यालयों से सम्बंधित हैं।

8.7 राज्यांश की गलत दर लागू करने के कारण राज्यांश की कम प्राप्ति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार खनिपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारी को पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उसके द्वारा उपभोग किए गए खनिजों के सम्बंध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार राज्यांश का भुगतान करना होगा। आगे, खनिज रियायत नियमावली के नियम 64 (घ) के अनुसार, राज्य शासन बैन्चमार्क मूल्य* में 20 प्रतिशत जोड़ेगा तथा राज्यांश की संगणना के उद्देश्य से इस मूल्य को विक्रय मूल्य माना जायेगा ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, नीमच में खनिपट्टों से सम्बंधित वैयक्तिक प्रकरण नस्तियों, भुगतान चालानों एवं विवरणियों की संवीक्षा करते समय अवलोकित किया (जनवरी 2009) कि लैटराइट खनिज के दो पट्टेदारों ने राज्यांश की गलत दर लागू किये जाने के कारण, लैटराइट की 1.24 लाख टन की निष्कासित मात्रा के लिए (अप्रैल 2006 से मार्च 2008 के मध्य) देय राशि ₹ 16.07 लाख (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत मूल्य के अनुसार) के विरूद्ध ₹ 3.62 लाख के राज्यांश का भुगतान किया था । यदि विभाग ने पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरणियों की संवीक्षा की होती, तो इस अनियमितता को संसूचित किया जा सकता था । विवरणियों की जांच करने एवं सही दर से राज्यांश की मांग करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.45 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमने मार्च तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

---

* 'खनिज उत्पादन के मासिक सांख्यकीय आँकड़े' में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न अलग-अलग खनिजों हेतु राज्यवार औसत मूल्य को राज्य में किसी खान में माह के दौरान किसी समय उत्पादित किसी खनिज के सम्बंध में सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की संगणना के लिए बैन्चमार्क माना जायेगा। राज्यांश की संगणना के उद्देश्य से, राज्य शासन इस बैन्चमार्क मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़ेगा। यह मूल्य राज्यांश की संगणना के उद्देश्य हेतु विक्रय मूल्य माना जायेगा।

8.8 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर अधिनियम के प्रावधानों तथा सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से किया जायेगा । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष मई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी माँग करेगा । कर का भुगतान न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी पट्टेदार (निर्धारिती) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, धारा 4 (2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी । धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार, भुगतान न किये जाने पर, सक्षम अधिकारी कर एवं शास्ति की राशि को भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेगा ।

हमने 12 जिला खनिज कार्यालयों [3] में खनन पट्टों के सम्बंध में मुख्य खनिजों के उत्पादन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि 48 पट्टाधारियों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य, देय सड़क विकास कर राशि ₹ 73.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.51 करोड़ का भुगतान किया था । जिला खनिज अधिकारियों ने कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के अंतर्गत आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त ₹ 70.53 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा इसे मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य इंगित किए जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया (नवम्बर 2011) कि पट्टाधारी (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) को मांग पत्र जारी किया गया है । जिसने सड़क विकास कर की मांग के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर को अपील की है । हालांकि तथ्य यह है कि जिला खनिज अधिकारी ने केवल अप्रैल से जून 2010 तक की अवधि के लिए मांग पत्र जारी किया था तथा जुलाई 2010 से मार्च 2011 की अवधि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । एक अन्य पट्टाधारी के सम्बंध में (मैसर्स कृष्णा पिंक एलाय), जिला खनिज अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2011) कि कर की वसूली की कार्रवाई पट्टाधारी द्वारा उत्पादित खनिज के विक्रय मूल्य से सम्बंधित दस्तावेजों

[3] छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंडला, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली तथा उमरिया।

को प्राप्त करने के उपरांत की जायेगी । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि माँग पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण को विभाग तथा शासन को (मई एवं जून 2012 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

8.9 खनन पट्टों में कार्य संचालन न होना

खनिज रियायत नियमावली के नियम 22 (क) के अनुसार, खनन कार्य सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रारम्भ किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियमावली के नियम 28 (1) के अनुसार, जहां खनन कार्य पट्टे के निष्पादन दिनांक से लगातार एक वर्ष की अवधि तक प्रारम्भ नहीं किया जाता है या खनन कार्यो के प्रारम्भ होने के पश्चात उन्हें एक वर्ष की सतत अवधि के लिए रोक दिया जाता है तो राज्य शासन, एक आदेश द्वारा खनन पट्टे को व्यपगत धोषित कर इस आशय की सूचना पट्टेदार को संप्रेषित करेगा ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, बैतूल तथा नीमच में पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत खनन योजनाओं एवं विवरणियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर तथा दिसम्बर 2010) कि 18.564 हैक्टेयर क्षेत्रफल के जिंक/लाइमस्टोन के दो पट्टे 20 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः मार्च 2005 तथा नवम्बर 1995 में स्वीकृत किये गये थे । बैतूल में पट्टेदार ने नवम्बर 2010 तक खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा नीमच में पट्टेदार ने जुलाई 2006 से खनन कार्य रोक दिया था। पट्टेदारों ने इस अवधि के दौरान केवल अनिवार्य किराये का भुगतान किया था। चूँकि खनन गतिविधियाँ या तो प्रारम्भ नहीं की गई थीं या फिर लम्बी अवधि के लिए रोक दी गई थीं, अतः पट्टों को व्यपगत घोषित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यदि इन पट्टों को अन्य आवेदकों को प्रदान कर दिया जाता तो इनसे खानों की क्षमता के अनुसार राजस्व की प्राप्ति हुई होती। साथ ही, खनन कार्य रोक दिये जाने से क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास, खनिज विकास तथा रोजगार सृजन पर भी रोक लग जाती है।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2010 में इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (दिसम्बर 2010) कि पट्टेदार ने अनिवार्य किराये की देय राशि ₹ 12,000 जमा की थी । उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व की हानि नहीं हुई थी क्योंकि पट्टेदार ने पट्टा क्षेत्र से किसी भी मात्रा में न ही खनिज का उत्खनन और न ही विक्रय किया था । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टा राज्यांश के रूप में राजस्व की प्रत्याशा में खनन योजना के अनुसार खानों का संचालन करने के लिए पट्टेदार को स्वीकृत किया गया था न कि खान को निष्क्रिय रखकर अनिवार्य किराये का भुगतान करने के लिए । जिला खनिज अधिकारी, नीमच

ने बताया (नवम्बर 2010) कि पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को अग्रेषित किया जायेगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

हमने (मार्च तथा मई 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.10 संविदा राशि की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 37 (i) तथा नीलाम खदान के ठेका अनुबंध की शर्त क्रमांक 5 (i) तथा 9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर राज्य शासन को संविदा राशि का भुगतान करना होगा । यदि संविदा राशि का भुगतान तीन माह से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा खदान पुनर्नीलाम की जायेगी । खदान की पुनर्नीलामी की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यदि शासन को कोई हानि होती है, तो यह राशि चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

हमने 22 जिला खनिज कार्यालयों[4] में व्यापारिक खदानों से सम्बंधित संविदा राशि की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012) कि 141 ठेकेदारों ने अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य देय संविदा राशि ₹ 5.06 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 2.02 करोड़ की राशि का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 3.04 करोड़ की कम प्राप्ति हुई । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा ठेका अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरूद्ध ठेका निरस्तीकरण या खदानों की पुनर्नीलामी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, सीहोर ने बताया (जून 2011) कि आक्षेपित राशि में से ₹ 9 लाख की राशि पूर्व में जमा करा ली गई है । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि जमा की गई राशि पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा देय संविदा राशि की गणना करते समय निकाल दी गई थी। जिला खनिज अधिकारी, राजगढ़ ने दो प्रकरणों में बताया (मई 2011) कि व्यापारिक खदानें म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण संचालित नहीं की जा सकीं तथा शेष प्रकरण में की जाने वाली कार्रवाई के सम्बंध में लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । तथ्य यह है कि जिला खनिज अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि ठेकेदार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था। अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया

[4] बड़वानी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिण्डोरी, हरदा, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, मंडला, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, सीधी तथा उमरिया।

(मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि माँग पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

हमने (मई तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.11 उत्खनि पट्टों के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (1)(क) के अनुसार, उत्खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टा प्रारंभ होने के प्रथम वर्ष को छोड़कर, अनुसूची IV में उल्लिखित दरों से, अग्रिम में वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण वर्ष के लिए वार्षिक अनिवार्य किराये का भुगतान करेगा ।

हमनें 27 जिला खनिज कार्यालयों[5] में पट्टेदारों की व्यक्तिगत नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि 214 उत्खनि पट्टेदारों ने जनवरी 2010 से दिसम्बर 2011 की अवधि हेतु देय ₹ 1.84 करोड़ के अनिवार्य किराये के विरूद्ध ₹ 30.47 लाख का भुगतान किया था। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा भुगतान न की गई शेष शासकीय राशि को वसूल करने हेतु माँग पत्र जारी करने की कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई ।

हमने (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[5] अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, उज्जैन तथा उमरिया।

8.12 खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (क)(**i**) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, खनि पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बंध में अनुसूची III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहां पट्टाधारक निष्कासित या उपभोग किये गये किसी खनिज के लिये राज्यांश का भुगतान करने का दायी हो जाता है तो वह उस क्षेत्र के सम्बंध में ऐसे राज्यांश या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा । नियमों में विलम्बित भुगतानों पर निर्धारित दरों से ब्याज के आरोपण का भी प्रावधान है ।

हमने जिला खनिज कार्यालयों, शहडोल तथा सतना में पट्टाधारकों की व्यक्तिगत नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अक्टूबर 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि मुख्य खनिजों के 18 खनन पट्टों के दो खनन पट्टाधारकों द्वारा अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य ₹ 46.43 लाख के अनिवार्य किराए का भुगतान नहीं किया गया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किराए की वसूली करने के सम्बंध में मांग सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.43 लाख के अनिवार्य किराए की कम प्राप्ति हुई । इसके अतिरिक्त, ब्याज भी आरोपणीय था।

हमने प्रकरण (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8 .13 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (द) के अनुसार, उत्खनिपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराए का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी को नियमों के अंतर्गत उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी दाण्डिक कार्रवाई के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा । नियम 30(i)(ख) के अनुसार, नियमों में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेदार को लिखित में दाण्डिक कार्रवाई हेतु एक कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस के दिनांक से साठ दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर, उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पट्टे को निरस्त कर प्रतिभूति जमा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से राजसात कर सकता है या विकल्प के रूप में नियमों के अंतर्गत निर्धारित शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

8.13.1 हमने आठ जिला खनिज कार्यालयों [6] में उत्खनिपट्टों से सम्बंधित अनिवार्य किराए तथा राज्यांश की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2008 तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि 67 उत्खनि पट्टेदारों ने अनिवार्य किराए का भुगतान आठ से 2257 दिनों के विलम्ब से किया था। इनमें से 11 प्रकरणों में अनिवार्य किराये के भुगतान में एक वर्ष से अधिक विलम्ब किया गया था। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण या पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.33 लाख के ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने प्रकरण (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[6] बड़वानी, बालाघाट, होशंगाबाद, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, सतना तथा शिवपुरी ।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम तथा ठेका अनुबंध की शर्त क्र. 5 (**i**) के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों द्वारा उनके ठेका अनुबंध में उल्लिखित दिनांक को या उसके पूर्व संविदा राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने पर ठेकेदार, संविदा राशि के अतिरिक्त, भुगतान न किए जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

8.13.2 हमने सात जिला खनिज कार्यालयों[7] की व्यापारिक खदानों के सम्बंध में संविदा राशि की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य) कि 44 ठेकेदारों द्वारा (अप्रैल 2007 तथा मार्च 2011 के मध्य) संविदा राशि का भुगतान छः से 930 दिन के विलम्ब से किया गया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.68 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

हमने (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[7] अनूपपुर, बालाघाट, दतिया, धार, नरसिंहपुर, शहडोल तथा उमरिया ।

8.14 उत्खनि पट्टे पर राज्यांश की कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (1)(ख) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टेदार को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गए खनिजों के सम्बंध में अनुसूची III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को राज्यांश का भुगतान करना होगा । नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेदार को लिखित में दाण्डिक कार्रवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस के दिनांक से साठ दिन के भीतर उल्लंघन का समाधान करने के लिए निर्देशित करेगा। यदि उल्लंघन का समाधान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता हैं तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पट्टा निरस्त कर सकता है तथा संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिभूति जमा राशि राजसात कर सकता है या विकल्प के तौर पर नियमों के अंतर्गत निर्धारित शास्ति आरोपित कर सकता है ।

हमनें नौं जिला खनिज कार्यालयों[8] के उत्खनि पट्टों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि 22 पट्टाधारियों ने अप्रैल 2009 से मार्च 2011 के दौरान देय राज्यांश ₹ 1.13 करोड़ के विरूद्ध ₹ 75.94 लाख का भुगतान किया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा शास्ति के आरोपण या प्रतिभूति जमा राशि को राजसात करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.96 लाख के राज्यांश की कम प्राप्ति हुई।

हमने प्रकरण (मई तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[8] हरदा, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, राजगढ़, सतना, शहडोल, सिंगरौली तथा टीकमगढ़।

8.15 खनन पट्टों पर राज्यांश की कम प्राप्ति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (i) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपभोग किये गये खनिजों के सम्बंध में राज्यांश का भुगतान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से करना होगा ।

हमनें जिला खनिज कार्यालय बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में खनन पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों तथा भुगतान चालानों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि दो पट्टेदारों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य प्रेषित कॉपर तथा मैग्नीज की मात्रा पर देय राज्यांश ₹ 33.44 करोड़ के विरूद्ध ₹ 33.06 करोड़ का भुगतान किया था । पट्टेदारों द्वारा राज्यांश का कम भुगतान किये जाने के बावजूद, जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राज्यांश की राशि ₹ 37.74 लाख का निर्धारण एवं वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.74 लाख के राज्यांश की कम प्राप्ति हुई।

हमने प्रकरण (मई एवं जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.16 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 68(1) के अनुसार, कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के निर्माण कार्यों हेतु वांछित किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए अनुमति प्रदान करेगा । उप नियम (3) में आगे प्रावधान है कि अनुसूची III में उल्लिखित दरों से गणना किए गए राज्यांश का अग्रिम भुगतान करने पर ही ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, छिंदवाड़ा तथा सागर में प्रकरण नस्तियों तथा ठेकेदारों को जारी किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2010 तथा जून 2011 के मध्य) कि अप्रैल 2009 से सितम्बर 2010 के मध्य नौं ठेकेदारों को राज्य शासन के निर्माण कार्यों के लिए 12 अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए गए । जिला खनिज अधिकारियों ने अग्रिम रूप से देय राज्यांश की संपूर्ण राशि की वसूली नहीं की तथा ठेकेदारों द्वारा किये गये आंशिक भुगतान पर ही अनुज्ञापत्र जारी कर दिये।

इसके परिणामस्वरूप विभाग ₹ 60.29 लाख के देय राज्यांश के विरूद्ध केवल ₹ 27.06 लाख वसूल कर सका जिसके कारण ₹ 33.23 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई। यदि जिला खनिज अधिकारियों ने उप नियम (3) की शर्त के अनुसार अग्रिम रूप से राज्यांश वसूल किया होता तो राजस्व की कम प्राप्ति से बचा जा सकता था।

हमने मार्च तथा जून 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

8.17 विवरणियां प्रस्तुत न किये जाने के कारण शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (20)(क)(ख)(ग) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक निर्धारित प्रपत्रों में नियत तिथियों तक जिला खनिज अधिकारी को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टाधारक पर शास्ति का आरोपण कर सकता है जो वार्षिक अनिवार्य किराया की राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी ।

हमने देखा कि विभाग द्वारा विवरणियों की सामयिक प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए नियंत्रण पंजियाँ निर्धारित नहीं की गई थीं तथा जिला खनिज अधिकारियों द्वारा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुतीकरण हेतु ठेकेदारों से विवरणियों की प्राप्ति की स्थिति पर भी कोई प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया गया था। हमने जिला खनिज कार्यालयों सिवनी तथा शिवपुरी के पट्टेदारों की 60 व्यक्तिगत पट्टा नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य) कि 10 पट्टाधारकों द्वारा अप्रैल 2008 से मार्च 2010 की अवधि से सम्बंधित 163 मासिक, 27 छःमाही तथा 15 वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं । निर्धारित आवधिक विवरणियों के अभाव में, पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये गये राज्यांश/अनिवार्य किराया/शास्ति की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी । अतः आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने के लिए पट्टेदार शास्ति का भुगतान करने के दायी थे । तथापि, जिला खनिज अधिकारियों ने पट्टेदारों पर शास्ति आरोपित एवं उसको वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य किराये की राशि के दुगने की दर से गणना करने पर शास्ति के रूप में ₹ 12.75 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई । विवरणियों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए किसी प्रणाली के अभाव में, पट्टेदारों द्वारा विवरणियों को प्रस्तुत न किया जाना, विभाग की जानकारी में न आ सका।

हमने (मार्च तथा मई 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

(डी. के. शेखर)

भोपाल, **महालेखाकार**

दिनांक **(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)**

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

नई दिल्ली, **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

दिनांक